न्यायालयः– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, प्रथम, शिवहर।
शिवहर थाना, कांड संख्या–407/2020

दिनांकः–04.01.2021

काराधीन अभियुक्तगण– 1. रिमा देवी एवं 2. फुला देवी, जिन्हें शिवहर थाना, कांड संख्या–407/20 अन्तर्गत धारा–30(ए), बिहार मध निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2018 के अपराध के संदर्भ में दि० 24.12.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अमलेश कुमार के द्वारा संचालित किया गया है। जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार सिंह को सुना गया।

जमानत आवेदन की प्रचालित कर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदिका अभियुक्त निर्दोष है तथा उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। इस जमानत आवेदन के आलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। पुलिस द्वारा लगाया गया नशा सेवन का अभियोग वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित नहीं है। आवेदिका का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका अभियुक्तगण दि० 24.12.2020 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदिका सक्षम बंध पत्र देने को तैयार है तथा उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदिका को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन का मामला संक्षेप में प्राथमिकी के अनुसार इस प्रकार है कि सुचक रघुनाथ प्रसाद एवं अन्य पुलिस पदाधिकारीगण तथा सशस्त्र बल एवं चौकीदारों के साथ दि० 23.12.2020 को समय करीब 14:30 बजे समकालीन अभियान पर छापेमारी हेतु पुलिस वाहन से प्रस्थान किया तो गुप्त सुचना मिली कि ताजपुर स्थित रिमा देवी एवं फुला देवी दोनों अपने–अपने घर में शराब रखे हुए एवं बिक्री कर रहे थे, तो दोनो महिला पुलिसबल को देखकर बांसवाडी के तरफ भागने लगी जिसे महिला पुसिल पदाधिकारी एवं महिला सिपाही के सहयोग से कब्जे में ले लिया गया एवं दोनो से नाम पता पुछने पर 1. रिमा देवी, पति भरत मांझी एवं 2. फुला देवी, पति सिकंदर मांझी स्थान ताजपुर थाना, जिला शिवहर बताया। दोनो के पास से एक उजला रंग के प्लास्टिके के झोला में उजला रंग के 5 लीटर वाला गैलन भरा हुआ चुलाई शराब एवं हरा रंग के प्लास्टिक के बोतल में दो लीटर देशी चुलाई शराब बरामद हुआ। फुला देवी के पास से दो–दो लीटर वाला प्लास्टिक के बोतल में देशी चुलाई बरामद हुआ। जिसकी जब्ती सुची पर साक्षियों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये एवं अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार करते हुए बरामद सामान के साथ थाना लाया गया। इसी आधार पर कांड अंकित हुआ।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद के नामजद है तथा प्रस्तुत वाद में दि० 24.12.2020 से कारा में है। प्राथमिकी के अनुसार प्रस्तुतवाद में आवेदिका अभियुक्तगण दोनों के पास से एक उजला रंग के प्लास्टिके के झोला में उजला रंग के 5 लीटर वाला गैलन भरा हुआ चुलाई शराब एवं हरा रंग के प्लास्टिक के बोतल में दो लीटर देशी चुलाई शराब बरामद हुआ। फुला देवी के पास से दो–दो लीटर वाला प्लास्टिक के बोतल में देशी चुलाई बरामद हुआ।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदिका अभियुक्तगण के कारा में बिताये अवधि एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवेदिका अभियुक्तगण– 1. रिमा देवी एवं 2. फुला देवी, के द्वारा मो०– 10000/– (दस हजार) रूपया के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण के दोनों जमानतदार स्थानीय होने चाहिए, जिनके पास पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो एवं 2. आवेदिका अभियुक्तगण इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगें कि वे अनुसंधान के दौरान पूर्ण सहयोग करेगें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

Khyati Sh.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
दिनांकः– 04.01.2021